

**भारतीय सर्वेक्षण विभाग / Survey of India**  
**निदेशक का कार्यालय / Office of the Director**  
**दक्षिणी मुद्रण वर्ग/ Southern Printing Group**  
**उप्पल, हैदराबाद/ Uppal, Hyderabad-500 039(TS).**

दक्षिणी मुद्रण वर्ग नेमी आदेश सं. सी- 04- /37-जी-9 /द.मु.व., दिनांक 03-07-2017.  
SOUTHERN PRINTING GROUP ROUTINE ORDER No.C- 04/37-G-9/SPG DT. 03-07-2017.

**I. सुनिश्चित कैरियर प्रोग्रेशन (एम0 ए0सी0पी0) योजना का कार्यान्वयन :**  
**ASSURED CAREER PROGRESSION - IMPLEMENTATION OF :**

माननीय कैट प्रिंसिपल बैच, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 23.11.2016 को जारी मूल आवेदन संख्या 2620/2012 तथा सी0पी0 संख्या 215/2015 श्री एस0पी0 रिंगोला एवं अन्य बनाम भारत संघ क्रमशः के अनुपालन एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के पत्र सं0 1-3/97 -सी0डी0एन0 दिनांक 17.08.1999 के अन्तर्गत प्राप्त कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं0 35034/1/97 -स्था0(डी) दिनांक 09-08-1999 में निहित अनुदेशों एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के पत्र सं0 एस0एम0/02/031/2000 दिनांक 21-10-2003, पत्र संख्या एस0एम0/02/038/2003 दिनांक 28-02-2005 एवं पत्र संख्या एस0एम0/02/031/2000 दिनांक 16.11.2007 के अनुसरण में भारतीय सर्वेक्षण विभाग में ग्रुप 'सी' स्थापना में ( डिविजन-II एवं डिविजन-I) [ डिविजन-II से पदोन्नत ) निम्नलिखित कर्मचारियों को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीख एवं वेतनमान में कोन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिए ए0सी0पी0 योजना के तहत प्रथम वित्तीय उन्नयन का लाभ स्वीकृत किया जाता है।

The Hon'ble CAT, Principal Bench, New Delhi's Implementation of the Judgement and Order dated 23-11-2016, Passed in O.A. No. 2610/2012 filed in contempt petition No. 215 of 2015 by Shri S.P. Ringola & other V/s Union of India and Other, received under DST's letter No.1-3/97-CDN dated 17-08-1999 and In pursuance of the instructions contained in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training) O.M. No. 35034//1/97 -Estt.(D) dt.09-08-1999, received under DST's No.SM/02/031/2000 dated 21-10-2003 and No.SM/02/038/2003 dated 28-02-2005 and No.SM/02/031/2000 dated 16-11-2007, the under-mentioned Group 'C' personnel ( Division II and Division I) [Promoted from Division II ) are granted First Financial Upgradation under the Assured Career Progression(ACP) Scheme for the Central Govt. Civilian Employee(s) in the undermentioned Pay Scale and with effect from the date as indicated below.

क्र.सं/ Sl. No.	नाम व पदनाम/Name & Designation S/Shri/Smt.	वेतनमान / Pay Scale	ए0सी0पी0 संस्वीकृत की तिथि /Date of ACP granted	प्रथम ए0सी0पी0 First Remarks
1.	D. Satyanarayana, Sr. Rep.	5000-150-8000	09-08-1999	1 <sup>st</sup> ACP
2.	R. C. Sundriyal, Sr. Rep.	5000-150-8000	09-08-1999	1 <sup>st</sup> ACP
3.	K. Shankar, Sr. Rep.	5000-150-8000	01-01-2002	1 <sup>st</sup> ACP
4.	G.V.S. Dhana Lakshmi	5000-150-8000	01-01-2002	1 <sup>st</sup> ACP
(Authority : SG's Lr.No.C-2948 /1902-ACP(SPG) dt.02-06-2017)				
1.	V.V. Hanwate, Sr. Rep.	5000-150-8000	01-01-2003	1 <sup>st</sup> ACP
2.	S.V. Surya Kumari, Ret.Ph.Gde.II	5000-150-8000	01-01-2004	1 <sup>st</sup> ACP
3.	K.V.S. Prasad, NK Gde.II	5000-150-8000	01-01-2005	1 <sup>st</sup> ACP
(Authority : SG's Lr.No.C-2955 /1902-ACP(SPG) dt.02-06-2017)				

-:2:-

क्र.सं/ Sl. No.	नाम व पदनाम/Name & Designation S/Shri/Smt.	वेतनमान / Pay Scale	ए०सी०पी० संस्वीकृत की तिथि /Date of ACP granted	प्रथम ए०सी०पी० First Remarks
1.	K. Man Mohan Goud, Sr. Rep.	5000-150-8000	09-08-1999	1 <sup>st</sup> ACP
2.	G. Raghuvveer Reddy, Sr. Rep.	5000-150-8000	09-08-1999	1 <sup>st</sup> ACP
(Authority : SG's Lr.No.C-2962 /1902-ACP(SPG) dt.02-06-2017)				
1.	K. Satyanarayana, LMP Gde.II	5000-150-8000	01-01-2002	1 <sup>st</sup> ACP
2.	B. Nanda Kumari, Ret. Ph. Gde.II	5000-150-8000	01-01-2007	1 <sup>st</sup> ACP
(Authority : SG's Lr.No.C-2969 /1902-ACP(SPG) dt.02-06-2017)				

- i) ए०सी०पी० योजना के अन्तर्गत वित्तीय उन्नयन को स्वीकृति पर उपरोक्त अधिकारियों को नए वेतनमान में वेतन निर्धारित करने के लिए एफ.आर.22 (I)(ए)(1) के अंतर्गत विकल्प देना होगा।  
They are required to exercise an option under Rule FR 22(I)(a)(1) for fixation of their Pay in the new Pay Scale.
- ii) संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोग्रेशन के अंतर्गत दी जानेवाली वित्तीय लाभ अंतिम माना जाएगा और नियमित पदोन्नति के समय उच्चतर पद में प्रकार्यात्मक पद के आगे कोई भी वेतन नियतन लाभ प्रोदभूत नहीं होगा।  
The financial benefit allowed under the ACP Scheme shall be final and no pay fixation benefit shall accrue at the time of regular promotion against a functional post in the higher grade.
- iii) इनका वेतन का निर्धारण संबंधित कार्यालय अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।  
Their pay will be fixed by the Head of Office.
- iv) इस संबंध में होने वाला खर्च दक्षिणी मुद्रण वर्ग के वर्ष 2017-18 के लिए संस्वीकृत बजट अनुदान में से पूरा किया जाएगा और समुचित लेखा शीर्ष में नाम डाला जाएगा।  
The extra expenditure involved will be met from within the sanctioned budget grant of Southern Printing Group for the year 2017-18 and debited to the appropriate head of account.

**II. सुनिश्चित कैरियर प्रोग्रेशन (एम० ए०सी०पी०) योजना का कार्यान्वयन :**  
**ASSURED CAREER PROGRESSION - IMPLEMENTATION OF :**

माननीय कैट प्रिंसिपल बैच, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 23.11.2016 को जारी मूल आवेदन संख्या 2620/2012 तथा सी०पी० संख्या 215/2015 श्री एस०पी० रिंगोलू एवं अन्य बनाम भारत संघ क्रमशः के अनुपालन एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के पत्र सं० ए-11019/1/2008-सी०डी०एन० दिनांक 08-06-2009 के अन्तर्गत प्राप्त कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं० 35034/3/2008-स्था०(डी) दिनांक 19-05-2009 में निहित अनुदेशों के अनुसरण में भारतीय सर्वेक्षण विभाग में ग्रुप 'सी' स्थापना में ( डिविजन-II एवं डिविजन-I) [ डिविजन-II से पदोन्नत ) निम्नलिखित कर्मचारियों को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से पूर्व संशोधित वेतनमान पे एंव ग्रेड पे में कोन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिए ए०सी०पी० योजना के तहत द्वितीय / तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ स्वीकृत किया जाता है।



The Hon'ble CAT, Principal Bench, New Delhi's Implementation of the Judgement and Order dated 23-11-2016, Passed in O.A. No. 2610/2012 filed in contempt petition No. 215 of 2015 by Shri S.P. Ringola & other V/s Union of India and Other. In pursuance of the instructions contained in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training) O.M. No. 35034/3/2008-Estt.(D) dt.19-05-2009, received under DST's No.A-11019/1/2008-CDN dated 08-06-2009, the under-mentioned Group 'C' personnel ( Division II and Division I) [Promoted from Division II ) are granted Second /Third Financial Upgradation under the Assured Career Progression(ACP) Scheme for the Central Govt. Civilian Employee(s) in the undermentioned Pay and Grade Pay and with effect from the date as indicated below.

क्र.सं/ Sl. No.	नाम व पदनाम/Name & Designation  S/Shri/Smt.	वेतनमान एवं ग्रेड पे / Pay & Grade Pay /Pay Level	एम०ए०सी०पी० संस्वीकृत की तिथि /Date of MACP granted	द्वितीय / तृतीय एम०ए०सी०पी० Second/Third MACP Remarks
1.	R. C. Sundriyal, Sr. Rep.	PB-2 9300-34,800+4600	01-09-2008	2nd MACP
2.	K. Shankar, Sr. Rep.	PB-2 9300-34,800+4600	01-01-2010	2nd MACP
3.	G.V.S. Dhana Lakshmi, Sr. Rep	PB-2 9300-34,800+4600	01-01-2010	2nd MACP
<b>(Authority : SG's Lr.No.C-2920 /1902-MACP(SPG) dt.02-06-2017)</b>				
1.	V.V. Hanwate, Sr. Rep.	PB-2 9300-34,800+4600.	01-01-2011	2nd MACP
2.	S.V. Surya Kumari, Ret.Ph.Gde.II	PB-2 9300-34,800+4600	01-01-2012	2nd MACP
3.	K.V.S. Prasad, NK Gde.II	PB-2 9300-34,800+4600	01-01-2013	2nd MACP
<b>(Authority : SG's Lr.No.C-2934 /1902-MACP(SPG) dt.02-06-2017)</b>				
1.	K. Satyanarayana, LMP Gde.II	PB-2 9300-34,800+4600	01-01-2010	2nd MACP
2.	B. Nanda Kumari,Ret.Ph.Gde.II	PB-2 9300-34,800+4600	01-01-2015	2nd MACP
<b>(Authority : SG's Lr.No.C-2913 /1902-MACP(SPG) dt.02-06-2017)</b>				
1.	D. Satyanarayana, Sr. Rep.	PB-2 9300-34,800+4800	01-01-2016	3rd MACP
2.	R.C. Sundriyal, Sr. Rep.	PB-2 9300-34,800+4800 (Level-8)	01-01-2017	3rd MACP
<b>(Authority : SG's Lr.No.C-2927 /1902-MACP(SPG) dt.02-06-2017)</b>				
1.	Neelavathi, Sr. Rep.	PB-2 9300-34,800+4800	01-01-2014	3rd MACP
2.	Sk. Khasim Saheb, Sr. Rep.	PB-2 9300-34,800+4800	01-01-2014	3rd MACP
3.	M. Ravi Prakasham, Sr.Rep.	PB-2 9300-34,800+4800	01-01-2015	3rd MACP
4.	K. Surya Kumar, Sr. Rep.	PB-2 9300-34,800+4800	01-01-2015	3rd MACP
<b>(Authority : SG's Lr.No.C-2941 /1902-MACP(SPG) dt.02-06-2017)</b>				

- i) एम०ए०सी०पी० योजना के अन्तर्गत वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति पर उपरोक्त कर्मचारियों को नए पे बैंड में वेतन निर्धारित करने के लिए एफ.आर.22 (1)(क)(1) के अंतर्गत विकल्प देना होगा।  
They are required to exercise an option under Rule FR 22(I)(a)(1) for fixation of their Pay in the new Pay Band.
- ii) संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोग्राम के अंतर्गत दी जानेवाली वित्तीय लाभ अंतिम माना जाएगा और नियामित पदोन्नति के समय उच्चतर पद में प्रकार्यात्मक पद के आगे कोई भी वेतन नियतन लाभ प्रोदभूत नहीं होगा।  
The financial benefit allowed under the MACP Scheme shall be final and no pay fixation benefit shall accrue at the time of regular promotion against a functional post in the higher grade.
- iii) नए वेतनमान में इनका वेतन निर्धारण संबंधित कार्यालय मुख्य द्वारा किया जाएगा।  
Their pay will be fixed by the Head of Office in the pay band.

- iv) इस संबंध में होने वाला खर्च दक्षिणी मुद्रण वर्ग के वर्ष 2017-18 के लिए संस्वीकृत बजट अनुदान में से पूरा किया जाएगा और समुचित लेखा शीर्ष में नाम डाला जाएगा ।

The extra expenditure involved will be met from within the sanctioned budget grant of Southern Printing Group for the year 2017-18 and debited to the appropriate head of account.

**III. सुनिश्चित कैरियर प्रोग्रेशन (एम0 ए0सी0पी0) योजना का कार्यान्वयन :**

**ASSURED CAREER PROGRESSION – IMPLEMENTATION OF :**

माननीय कैट प्रिंसिपल बैच, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 23.11.2016 को जारी मूल आवेदन संख्या 2620/2012 तथा सी0पी0 संख्या 215/2015 श्री एस0पी0 रिंगोला एवं अन्य बनाम भारत संघ क्रमशः के अनुपालन एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के पत्र सं० ए-11019/1/2008-सी0डी0एन0 दिनांक 08-06-2009 के अन्तर्गत प्राप्त कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं० 35034/3/2008-स्था0(डी) दिनांक 19-05-2009 में निहित अनुदेशों के अनुसरण में भारतीय सर्वेक्षण विभाग में ग्रुप 'सी' स्थापना में ( डिविजन-II एवं डिविजन-I) [ डिविजन-II से पदोन्नत ) निम्नलिखित कर्मचारियों को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से पूर्व संशोधित वेतनमान पे एवं ग्रेड पे में कोन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिए ए0सी0पी0 योजना के तहत प्रथम वित्तीय उन्नयन का लाभ स्वीकृत किया जाता है।

The Hon'ble CAT, Principal Bench, New Delhi's Implementation of the Judgement and Order dated 23-11-2016, Passed in O.A. No. 2610/2012 filed in contempt petition No. 215 of 2015 by Shri S.P. Ringola & other V/s Union of India and Other. In pursuance of the instructions contained in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training) O.M. No. 35034/3/2008-Estt.(D) dt.19-05-2009, received under DST's No.A-11019/1/2008-CDN dated 08-06-2009, the under-mentioned Group 'C' person ( Division II and Division I) [Promoted from Division II ) are granted First Financial Upgradation under the Modified Assured Career Progression(MACP) Scheme for the Central Govt. Civilian Employee(s) in the undermentioned Pay and Grade Pay and with effect from the date as indicated below.

क्र.सं/ Sl. No.	नाम व पदनाम/Name & Designation S/Shri/Smt.	वेतनमान एवं ग्रेड पे / Pay & Grade Pay	एम0ए0सी0पी0 संस्वीकृत की तिथि /Date of MACP granted	प्रथम एम0ए0सी0पी0 First MACP Remarks
1.	G. Padma Shree, Ret.Ph.Gde.II	PB-2 9300-34,800+4200	01-01-2014	1st MACP

(Authority : SG's Lr.No.C-2976 /1902-MACP(SPG) dt.02-06-2017)

- i) एम0ए0सी0पी योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति पर उपरोक्त कर्मचारी को नए पे बैंड और ग्रेड पे में निर्धारित करने के लिए एफ.आर.22(I)(ए)(1) के अंतर्गत विकल्प देना होगा।  
She is required to exercise an option under Rule FR 22(I)(a)(1) for fixation of their pay in the new pay band + grade pay.
- ii) संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोग्रेशन के अंतर्गत दी जानेवाली वित्तीय लाभ अंतिम माना जाएगा और नियामित पदोन्नति के समय उच्चतर पद में प्रकार्यात्मक पद के आगे कोई भी वेतन नियतन लाभ प्रोदभूत नहीं होगा।  
The financial benefit allowed under the MACP Scheme shall be final and no pay fixation benefit shall accrue at the time of regular promotion against a functional post in the higher grade.
- iii) नए वेतनमान में इनका वेतन निर्धारण संबंधित कार्यालय मुख्य द्वारा किया जाएगा।  
Their pay will be fixed by the Head of Office in the new pay band.

-:5:-

iv) इस संबंध में होने वाला खर्च दक्षिणी मुद्रण वर्ग के वर्ष 2017-18 के लिए संस्वीकृत बजट अनुदान में से पूरा किया जाएगा और समुचित लेखा शीर्ष में नाम डाला जाएगा ।

The extra expenditure involved will be met from within the sanctioned budget grant of Southern Printing Group for the year 2017-18 and debited to the appropriate head of account.

( रवीन्द्र कुमार / RAVINDRA KUMAR )

निदेशक/DIRECTOR

दक्षिणी मुद्रण वर्ग / SOUTHERN PRINTING GROUP

वितरण / DISTRIBUTION:-

01. The Surveyor General of India, Survey of India, Dehra Dun for information. ... 02 copies.
02. Addl.SG : Printing Zone / IIS&M .
03. Directors/ Incharges :APGDC/ GIS&RS / M&G GDC(Hyd Wing)/ WPG / NPG/ NSDI.
04. The Regional Pay & Accounts Officer, Survey of India, Hyderabad .
05. E&AO, SPG ... 03 copies.
06. Guard File/14-C-1/Conf./4-F